

18.12.2024

वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक पृथक समय में वकील मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। निष्कर्ष वादी का वाद अदम्य पैरवी व अदम्य हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फौजदारी सुमार होकर दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालाघाट